

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2013/वैशाख 27, 1935

No. 1105]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2013/VAISAKHA 27, 1935

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मतस्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2013

का.आ. 1254(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 26 जून, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1438(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु श्री डी. एस. धेसी, संयुक्त सिचव ईपी(एमपी), वाणिज्य मंत्रालय के स्थान पर अध्यक्ष, मपेडा को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 33036/6/2008-मार्त्स्यिकी (टी-2)] संजय आर. भूसरेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2013

S.O. 1254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoint Chairman, MPEDA as Member of the Coastal Aquaculture Authority in place of Shri D.S Dhesi, Joint Secretary EP(MP), Ministry of Commerce for the purpose the said Act in partial modification to the Notification in No. S.O 1438 (E) dated 26th June, 2012.

[F.No. 33036/6/2008-FY (T-2)]

SANJAY R. BHOOSREDDY, Jt. Secy.